

प्ररूप 2क
(नियम 4 देखिए)

नाम निर्देशन पत्र की
क्रम सं० ९२
समय १२.१५ P.M.
तिथि २१.५.२०१५

आर०३१०-०२-पश्चिम दूधाराण
लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र

२/५

नामनिर्देशन-पत्र
लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग- 1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए २ पश्चिम चम्पाड़ा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम प्रभु राज नाशमण २१९ पिता/माता/पति का नाम
३९० विवेकेश्वरी पसाद २१९ उसका डाक पता रामन पौड- लोकरिया शाना- वैरिया
जिला पश्चिम चम्पाड़ा उसका नाम २ पश्चिम चम्पाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट
६ नीतन विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं० ३६ में क्रम सं० १०३
पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम प्रभुनाथ गुप्ता है जो २ पश्चिम चम्पाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट ६ नीतन विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं० ११५ में क्रम सं० ६३५ पर प्रविष्ट है।

तारीख २१.५.२०१५

प्रभुनाथ गुप्ता
(प्रस्तावक के हस्ताक्षर)

भाग- 2

(मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम
पिता/माता/पति का नाम
उसका डाक पता
उसका नाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र *(में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या में क्रम सं० पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्तावकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

प्रस्तावक का निर्वाचक नामावली संख्यांक						
क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं०	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

कृपया ध्यान दें :- प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए ।

भाग- 3

मैं, भाग 1/भाग-2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि-

(क) मैंने 59 वर्ष की आयु पूरी कर ली है ।

(नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें)

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में आर.व. की कृषुगिरीस्ट पार्टी (भा.व.प.) दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/संज्य-दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आवंटित किया जाए ।

या

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने है वे अधिमान क्रम में (i)

(ii) (iii) है।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर हिन्दू (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है ।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं *जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो
राज्य के उस राज्य में के (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित
**जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 21.04.2014

प्रभुदास नारायण सिंह

(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

कृपया ध्यान दें :- "मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यता प्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

भाग- 3 (क) (अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को :-

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए या
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,
सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

हाँ/ नहीं

- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट, संख्यांक
(ii) पुलिस थाना (थाने)
जिला (जिले)
राज्य
(iii) संबंध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण,
जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था
(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख / (तारीखें)
(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था

- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें 21/4
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) 21/4
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हाँ/नहीं
- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/ पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियाँ :- 21/4
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें) /पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे :- 21/4
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों) /पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित है 21/4
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों) /पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो
 (क) निपटारे की तारीख (तारीखें) 21/4
 (ख) पारित आदेश (आदेशों) की प्रकृति 21/4

स्थान :- कै. 21/4

तारीख :- 21.04.2014

प्रमुख न्यायाधीश 21/4
 (अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

भाग- 4

(रिटनिंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम संख्या- 02

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 21.4.2014 (तारीख) को 12.15pm (बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया ।

तारीख -21.4.2014

21/4
 (रिटनिंग आफिसर)

*जो शब्द लागू न हो उसे काट दीजिए ।

भाग- 5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटनिंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

तारीख

(रिटनिंग आफिसर)



GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
EST. CHAMPARAN SCORE BETHA

COURT FEE

Authorization No. 555

भारत



INDIA

STAMP DUTY

00000

Rs. 0000100

375349

Zero+Zero+Zero+Zero+One

बिहार
JUDICIAL

19. 4. 2014

BIHAR

91 2321752

916
19.4.14

(नियम 4क देखिए)

105
2



मो० जाकिर

नोबरी पब्लिक वेलिया (प० चान)

२- पश्चिम चम्पारण लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा (सदन का नाम) के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं प्रभुराज नारायण राव पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व. विन्देश्वरी प्रसाद राव आयु 59 वर्ष, जो ग्राम + पो. लोकरिया, बाना-बोरिया, जिला- पश्चिम चम्पारण (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

(1) मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/स्वतंत्र-अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ। (जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 6- जौतन विधान सभा, बिहार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं० 88 के क्रम सं० 403 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं 9430824547, 8678817503 मेरा ई-मेल आईडी० (अगर कोई हो) है एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है फेस बुक, Raj_prabhu57@yahoo.com

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्ति :-

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय(रुपए में)
1.	स्वयं प्रभुराज नारायण राव	BFJPR 2678A	शुन्म	शुन्म
2.	प्रति या पत्नी कुन्ती देवी	शुन्म	शुन्म	शुन्म
3.	आश्रित-1	शुन्म	शुन्म	शुन्म
4.	आश्रित-2	शुन्म	शुन्म	शुन्म
5.	आश्रित-3	शुन्म	शुन्म	शुन्म

प्रभुराज नारायण राव



M. Zaki
19.4.14

- (5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-

- (i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शुन्म
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शुन्म
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शुन्म
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शुन्म
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शुन्म
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	शुन्म

- (ii) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शुन्म
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे, जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	शुन्म
(ग)	पूर्वोक्त आदेश(आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन(आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	शुन्म

- (6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा(1) या उपधारा(2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध(अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धाक्षेप-तहसस मखा है/ नहीं दहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/ नहीं दिया गया है।

पुम राज गानागुडा राज

M. Zaki
19-4-14



यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शुन्म
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश(आदेशों) की तारीख(तारीखें)	शुन्म
(ग)	अधिरोपित दंड	शुन्म
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	शुन्म

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ:

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे:

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4- यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5- रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	40000/-	5000/-	शुन्म	शुन्म	शुन्म
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय	744/- एस.बी.आई. बैंक 744/- एस.बी.आई. बैंक	1474/- एस.बी.आई. बैंक 1474/- एस.बी.आई. बैंक	744/- एस.बी.आई. बैंक 744/- एस.बी.आई. बैंक	शुन्म	शुन्म

प्रमुख न्यायाधीश न्यायालय



14.3.2018
19-4-14

	कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शुन्म	शुन्म	3600/- अन्धर मासिक जमा योजना में	शुन्म	शुन्म
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	टोटा साइन भा.र.सा.सं. 13/12/22 रक. 2,59,300/-	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु(वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शुन्म	रोना 800ग्राम मो. 22,4000/- चोरी 1/2 किलो मो. 23000/-	रोना 300ग्राम मो. 84000/- चोरी 1/2 किलो मो. 23000/-	शुन्म	शुन्म
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	राज विद्या प्रेम लाल बाबा, जैम	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
(ix)	समग्र कुल मूल्य	40000/- 60000/- 145000/- 245000/-	247000/-	143000/-	शुन्म	शुन्म

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन के अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	3-26 रकड़ ग्राम-लोन्गरी 1-63 रकड़ तहसील-दुर्ग	0-67 रकड़ ग्राम-लोन्गरी	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	क्षेत्र(एकड़ में कुल माप)	4-35 रकड़	0-67 रकड़	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	हाँ	नहीं	शुन्म	शुन्म	शुन्म

प्रमुख नगरपालिका २१७

M. Zaidi
19.4.14



	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुन्म	30.12.2009	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शुन्म	345000/-	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
(ii)	गैर कृषि भूमि: अवस्थिति (अवस्थितियाँ)	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं)	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	114000/- 777400/-	1108000/-	शुन्म	शुन्म	शुन्म
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ)	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं)	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ)	05 डिसेंबर 2011	01 डिसेंबर 2011	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं)	ग्राज-लोकप्रिया	मिश्र-न	शुन्म	शुन्म	शुन्म
			कटर, वेनेज़ा			

प्रमु 21 ज 21 ज 21 ज 21 ज



म. 3. 1. 11
19. 4. 14

क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	2300 वर्ग फीट	540 वर्ग फीट	शुन्म	शुन्म	शुन्म
निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	1400 वर्ग फीट	540 वर्ग फीट	शुन्म	शुन्म	शुन्म
क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	हैं	नहीं	शुन्म	शुन्म	शुन्म
स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुन्म	20.1.2003	शुन्म	शुन्म	शुन्म
क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शुन्म	48000/-	शुन्म	शुन्म	शुन्म
विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	500000/-	1200000/-	शुन्म	शुन्म	शुन्म
(v) अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
(vi) पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	2418400/-	2308000/-	शुन्म	शुन्म	शुन्म

8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-

(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरे का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	को सी. सी. स्टेशन मो. 45000/- सेन्ट्रल बैंक वेरिफा	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	कोई अन्य दायित्व	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	दायित्वों का कुल योग	45000/-	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
(ii)	सरकारी शोध्य: सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म

सुमराज गा. 21/10/14

14.3.14
19.4.14



	विभाग को शोध	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	आय-कर शोध	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	धनकर शोध	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	सेवाकर शोध	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	विक्रयकर शोध	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
	कोई अन्य शोध	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म	शुन्म

9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे:

(क) स्वयं.....खेती
(ख) प्रति या पत्नी.....खेती

10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है:-

- ① मैट्रिक 1974 राज हाई स्कूल बेरिमा ② इंटर-1977 सम.जे.के. कॉलेज, बेरिमा
③ स्नातक सम.जे.के. कॉलेज, बेरिमा, बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर 1980
(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरों का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/शुभ प्रभुराज नारायण राव
2	डाक का पूरा पता	ग्राम-चौ.लोकरिया, ग्रामा बेरिमा जिला-पश्चिम चम्पारण, बिहार
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	6-नौतन, बिहार विधान सभा 2-पश्चिम चम्पारण लोक सभा, बिहार

प्रभुराज नारायण राव



14-3-14
19-4-14

4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है(अन्यथा "स्वतंत्र" लिखें)		भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)			
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।		शून्य			
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [उपर भद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न]		शून्य			
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]		शून्य			
7		 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी		शून्य	शून्य		
	(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य		
	(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	245000/-	247000/-	36000/-	शून्य	शून्य
ख	स्थावर आस्तियां					
	i स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	345000/-	शून्य	शून्य	शून्य
	ii क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	2308000/-	शून्य	शून्य	शून्य
	कि					
	iii अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	2518000/- शून्य	2308000/-	शून्य	शून्य	शून्य

मुमुक्षु जी शर्मा

11.2.2017
19.4.17



		(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	205000/-	2555000/-	36000/-	शून्य	शून्य
		(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	1918000/-				
9		दायित्व					
	i	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	क० सी० सी० नृप संस्थल बैंक लोदीगा 45000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	i	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
11		उच्चतम शैक्षिक अर्हता: स्नातक - राज० जे० के० कॉलेज, बेगुसा, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, बिहार - 1980 (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का व्यौरें दें।)					

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि:-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख.....को सत्यापित किया गया।

प्रमाणपत्र (प्रमाणित नाशपत्र) शी
अभिसाक्षी
19.4.19

- टिप्पण: 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराहन तक फाइल किया जाना चाहिए।
- टिप्पण: 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पण: 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथा स्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पण: 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

प्रमाणित नाशपत्र शी



W. Z. Ali
19.4.19

टिप्पण: 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जांच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण: 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।
"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं.....
मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है.....
एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है....."

¹Form 'A'

**Communication With Regard to Authorised Persons To Intimate
Names of Candidates Set Up By Recognised NATIONAL OR STATE
Political Party or REGISTERED UNRECOGNISED Political Party**

(See Para 13(c), (d) and (e) of the Election Symbols
(Reservation and Allotment) Order, 1968)

To,

1. The Chief Electoral Officer

..... State/Union Territory

2. The Returning Officer for the

2- Paschim Champaran Constituency

Subject: General/Bye Elections to LOK-Sabha from Bihar (State/Union Territory)
-- Allotment of Symbols -- Authorisation of persons to intimate names of candidates

Sir,

In pursuance of paragraph 13 (c), (d) and (e) of the Election symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, I hereby communicate that the following person(s) has/have been authorised by the Party, which is a National party/state party in the state of Bihar /registered unrecognised to intimate the names of the candidates proposed to be set up by the Party at the elections cited above:

Name of the person authorised to send notice	Name of the office held in the Party	District(s)/areas, Constituency/Constituencies in respect of which he has been authorised
1	2	3
1. <u>Vijay Kant</u> 2. <u>thakur</u>	<u>Secretary</u> <u>Bihar State</u> <u>Committee</u> 3. <u>Communist Party</u> <u>of India (Marxist)</u>	<u>Bihar</u> <u>State</u>

4. The specimen signatures of the above mentioned person(s) so authorised are given below:

1. Specimen Signatures of Shri Vijay Kant Thakur
(i) Vijay Kant Thakur (ii) Vijay Kant Thakur
(iii) Vijay Kant Thakur

2. Specimen signatures of Shri _____

(i) _____ (ii) _____
(iii) _____

3. Specimen signatures of Shri _____

(i) _____ (ii) _____
(iii) _____

Yours faithfully

K. Prakash

General Secretary

Communist Party of India (Marxist)

Place: New-Delhi

Date: 9 April 2014

(Seal of the Party)



N.B.

1. This must be delivered to the Returning Officer and the Chief Electoral Officer not later than 3 p.m. on the last date for making nominations.
2. Form must be signed in ink by the office bearer(s) mentioned above. No facsimile signature or signature by means of rubber stamp, etc., of any office bearer shall be accepted.
3. No form transmitted by fax shall be accepted.

¹ Inserted by Notification No. 56/97/JndI-III, dated 15.12.1997

PART III

FORM B

NOTICE AS TO NAME OF CANDIDATE SET UP BY THE POLITICAL PARTY

[See paragraphs 13(b), (c) and (e) and 13A of the Election Symbols

(Reservation and Allotment) Order 1968]

To

The Returning Officer for the
..... Constituency

Subject: General/bye Election to Lok Sabha 2-Pashchim Champaran from (Name of the Constituency) in
Bihar (State/Union Territory) – setting up of candidate.

Sir,

In pursuance of paragraphs 13 (b), (c) and (e) and 13A of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, I hereby give notice on behalf of Communist Party of India (Marxist)

- (i) that the person whose particulars are furnished in columns (2) to (4) below is the approved candidate of the party above named, and
- (ii) the person whose particulars are mentioned in columns (5) to (7) below is the substitute candidate of the party, who will step-in on the approved candidate's nomination being rejected on scrutiny or on his withdrawing from the contest, if the substitute candidate is still a contesting candidate, at the ensuing general/bye election from this constituency :

Name of the Constituency	Name of the approved Candidate	Father's/ Mother's/ Husband's Name of approved candidate	Postal address of approved candidate	Name of the substitute candidate who will step-in on the approved candidate's nomination being rejected on scrutiny or on his withdrawing from the contest if substitute candidate is still a contesting candidate	Father's/ Mother's/ Husband's Name of substitute candidate	Postal Address of substitute Candidate
1	2	3	4	5	6	7
<u>2 PASHCHIM CHAMPARAN</u>	<u>PAASHWAN NARAIN JAD</u>	<u>LATE BINDESHWAR PRASAD JAD</u>	<u>VK + P.O. LAUNAR P.S. BAHARIN W-CHAMPARAN</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>

Inserted by Notification No. 53/97/Judl-III, dated 15.12.1997 316

2. The notice in Form 'B' given earlier in favour of Shri/Smt./Sushri.....~~as~~
party's approved candidate/Shri/Smt./ Sushri~~as~~ Party's
substitute candidate is hereby rescinded.
3. It is certified that each of the candidates whose name is mentioned above is a member of this
political party and his name is duly borne on the rolls of members of this party.



Yours faithfully,

Vigaykant thakur

(Name and Signature of the Authorized person of the Party)

(Seal of the Party) Place

Date

* Score off, if not applicable.

N.B.

1. This must be delivered to the Returning Officer not later than 3 p.m. on the last date for making nominations.
2. Form must be signed in ink by the office bearer (s) mentioned above. No facsimile signature or signature by means of rubber stamp, etc., of any office bearer shall be accepted.
3. No form transmitted by fax shall be accepted.
4. Para 2 of the Form must be scored off, if not applicable, or must be properly filled, if applicable.

447513

वि. संख्या वर्ष
 श्री प्रमोदराज नारायण राव पिता विवेकेश्वरी
 दिवसे प्राप्त हुआ
 प्रसाद राव, अग्रिमप्राप्त, भोकरिया, केरिया
 सहाय नाम- निर्देशन प्रपत्र का शुल्क
 02-परिचय पत्रप्राप्त के लिए रुक

रु. र.

25,000/-

नकद

स्टाम्प के रूप में



25,000/-

कुल फीस हजार रुपये मात्र

(केवल रुपये पैसे)

प्राप्त कृतवाली पदाधिकारी ।

तारीख 17.04.14 19

नाज़ीर
 जिला निवांक शाखा
 पर चम्पारण, वैशाली

संलग्नक XV
(अध्याय 5-पैरा 21.2)

शपथ अथवा प्रतिज्ञान का फार्म

(भारत के संविधान का अनुच्छेद 84 (क))

(संसद हेतु निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला)

मैं, प्रभुशंकर नारायण राव जो राज्य सभा
अथवा लोकसभा में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर
की शपथ लेता हूँ/सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के
संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखण्डता को
अक्षुण्ण रखूंगा।

प्रभुशंकर नारायण राव
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और स्पष्ट अक्षरों में नाम)

श्री/श्रीमति प्रभुशंकर नारायण राव ने आज दिनांक 21.4.2014 (माह)
2014 को प्रजापितामह स्मारक भवन स्थान पर 1.50 pm बजे मेरे
समक्ष ईश्वर की शपथ ली/सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किया।

21/4
(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

निर्भरि, पदम और मुहर)
02-पश्चिम चम्पारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र